



अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

कोल्हान दीवानी वाद संख्या- 23/2000

गुरुचरण गोप।

वनाम

बामे गोप एवं अन्य।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, और तारीख
	<p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>यह कोल्हान दीवानी वाद दिनांक- 25.08.2000 को वादी गुरुचरण गोप, पिता- स्व० जादु गोप, ग्राम- चिटीमिटी, अंचल- तांतनगर, जिला- पश्चिमी सिंहभूम द्वारा वाद पत्र के Schedule "B" में वर्णित भूमि के लिए प्रतिवादी 1. गंगा गोप, पिता- जादु गोप, 2. मदन गोप, पिता- स्व० जादु गोप, 3. बाटु गोप, पिता- स्व० लुटु गोप, 4. रोयना गोप, पिता- स्व० नामो गोप, सभी का ग्राम+पो०- चिटीमिटी, अंचल- तांतनगर, जिला- पश्चिमी सिंहभूम के विरुद्ध दायर किया गया है। इस वाद में लम्बे समय से ही दोनों की ओर से पैरवी नहीं की जाने के कारण नोटिस भेजा गया। नोटिस मिलने के बाद प्रतिवादी की ओर से दिनांक- 20.12.2021 को अंतिम हाजरी दी गई लेकिन वादी की ओर से कोई उपस्थिति नहीं दी गई है। इसके बाद सुनवाई हेतु कई तिथि गुजर जाने के बाद भी उभय पक्ष की ओर से वाद भूमि के लिए अपना पक्ष नहीं रखा जा रहा है। इससे प्रतीत होता है की दोनों पक्षों को इस वाद में कोई अभिरुचि नहीं है।</p> <p>अतः उक्त के आलोक में इस वाद को खारीज किया जाता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p> अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।</p> <p> अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा</p>	